सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने ऐसे मामलों में पर्सनल गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का रास्ता भी साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित 75 याचिकाएं थीं, जो अलग-अलग हाईकोर्ट में दायर की गई थीं।

अमन शाह।।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोन न चुकाने वाली कंपनियों के मामले में इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि ये कंपनियां और लोन के पर्सनल गारंटर देनदारी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने ऐसे मामलों में पर्सनल गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का रास्ता भी साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित 75 याचिकाएं थीं, जो अलग-अलग हाईकोर्ट में दायर की गई थीं।

पिछले साल ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित किए गए थे। यह फैसला इस मायने में भी अहम माना जा रहा है कि इससे 2016 में लाई गई। दीवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी पर ठीक से अमल की राह में आ रही सबसे बड़ी बाधा के हटने की उम्मीद बन गई है। बैंकों के बैड लोन की गंभीर होती समस्या के मद्देनजर डिफॉल्टर कंपनियों से बकाया वसूली के लिए आईबीसी लाया गया था, जो व्यवहार में ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहा था।

दिक्कत यह है कि इससे लोन देने वाली वित्तीय कंपनियों और बैंकों का फंसा हुआ पूरा पैसा वापस नहीं मिल पा रहा था। आईबीसी के तहत लोन पर पर्सनल गारंटी देने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए संबंधित पक्ष कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि बैंकों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसी सिलसिले में आईबीसी के संबंधित प्रावधानों को चुनौती मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने कानून के इस पहलू पर कोई दुविधा नहीं रहने दी, जो एक अच्छी बात है। फैसले का एक संभावित नतीजा तो यह माना जा रहा है कि इसके बाद बैंकों और अन्य देनदार एजेंसियों के लिए अपना पैसा वसूलना आसान हो जाएगा। इस फैसले का एक नतीजा यह भी होगा कि विभिन्न कंपनियों के शीर्ष पदों पर बैठे लोग कंपनी के लिए लोन सुनिश्चित करने के प्रयास करते हुए अपनी भूमिका को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। किसी जोखिम वाले प्रॉजेक्ट के लिए लोन लेने में अब सिर्फ कंपनी की साख और बैंकों का पैसा ही दांव पर नहीं होगा, जोखिम के दायरे में वे खुद भी होंगे।

जाहिर है, इस आधार पर अपने देश में बैंक और इंडस्ट्री के बीच ज्यादा भरोसेमंद रिश्ता बनने की संभावना भी बन रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि फैसले में सब कुछ अच्छा ही देखा जा रहा है। एक हलके में यह खटका भी बना हुआ है कि कहीं इस फैसले के बाद कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व के लिए फैसला करना ज्यादा मुश्किल न हो जाए। ऐसा हुआ तो रिस्क लेकर आगे बढ़ने का इंडस्ट्री का जज्बा प्रभावित हो सकता है। बहरहाल, कोई भी रास्ता मुश्किलों से खाली नहीं होता। उम्मीद की जाए कि बैंक और इंडस्ट्री दोनों ही इस फैसले की हद को समझते हुए आगे बढ़ेंगे।

ईश्वर का अस्तित्व

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। यह एक प्रकार का जुड़ाव है जो परमेश्वर की कृपा से ही आता है क्योंकि कई बार विषयों के अच्छे गुरु से आपका वो जुड़ाव नहीं हो पाता जैसा आप चाहते हैं। यह एक स्वाभाविक गुरु शिष्य प्रेम है। यह प्रेम बलपूर्वक या बाध्य करके सम्भव नहीं है। यही प्रक्रिया आध्यात्म में भी चलती है। आप जगह जगह अपने प्रश्न लेकर घूमते हैं। परमेश्वर की कृपा से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है और आपको उस परमशून्य अनुभव तक ले जाता है जिसका वर्णन असम्भव है। गुरु को खोजने का यह कोई नया मार्ग नहीं है। वर्षों पहले विवेकानंद जी भी अपने प्रश्न लेकर हर स्थान पर गए। वह जिससे भी मिलते उनसे पूछते की "क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या आपने उसे देखा है?" फिर एक समय आया जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले और उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि "हां मैंने ईश्वर को देखा है!

संपादकीय

ग्राहकों की संख्या तय हो

सरकार को किसी भी ई-पोर्टल द्वारा जोड़े जाने वाले ग्राहकों की अधिकतम संख्या भी निर्धारित कर देनी चाहिए। जैसे यदि देश में 10 करोड़ व्यक्ति ई-पोर्टलों पर माल खरीदते हैं तो सरकार नियम बना सकती है कि कोई भी ई-पोर्टल तीन करोड़ से अधिक ग्राहकों को नहीं जोड़ सकता। इससे अधिक ग्राहकों की संख्या वाले ई-पोर्टल को दो-तीन हिस्सों में विभाजित कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ई-पोर्टल इस प्रस्ताव पर भड़केंगे। लेकिन सरकार का उद्देश्य जनहित है। ई-पोर्टल को सूचना गुप्त रखने का अधिकार देने से ई-पोर्टल को प्रॉफिट होगा, उसका विस्तार होगा। ई-पोर्टल को सूचना के अधिकार में लाने से उसकी धांधली बंद होगी और इससे जनहित होगा। मेरे आकलन में सूचना के अधिकार में लाने से जनहित ज्यादा हासिल होगा। ऐसा करने से भारत के अपने छोटे ई-पोर्टलों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा से सभी ई-पोर्टलों की धांधली पर स्वयं अंकुश लग जाएगा। इन समस्याओं के लिए सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किए हैं, वे सही दिशा में हैं और इन्हें लागू किया ही जाना चाहिए। परंतु समस्याओं को देखते हुए यह अपर्याप्त है।

यूरोपियन यूनियन ने कानून बनाया है कि ई-पोर्टल को अपने स्वयं के माल एवं दूसरों के माल का बराबर डिस्प्ले करना होगा। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है कि ई-पोर्टल के लिए अपनी स्वयं की कंपनी बनाना ही निषिद्ध होगा।

अमेरिकी मॉडल सही

भरत झुनझुनवाला।।

कोरोना काल में बाजारों के बंद होने से ई-कॉमर्स का भारी विस्तार हुआ है। उपभोक्ता को राहत मिली है। जरूरत का माल घर पर पहुंचाया जा रहा है। उपभोक्ता की चॉइस भी बहुत बढ़ गई है। कुछ समय पहले मुझे एक पुस्तक की जरूरत थी, जो भारत में उपलब्ध नहीं थी। मैंने अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स पोर्टल पर ऑर्डर दिया और वह 15 दिन के बाद मेरे घर पर पहुंच गई। दाम की तुलना करना भी आसान हो गया है। जैसे आपको सरसों का तेल खरीदना हो तो आप तीन ई-पोर्टल पर जाकर दाम की तुलना कर सकते हैं। इन सुविधाओं को देखते हुए ई-कॉमर्स को अपनाना जरूरी और लाभप्रद है। लेकिन साथ-साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें दूर करना भी उतना ही जरूरी है।

ई-कॉमर्स कंपनियां अक्सर अपनी ही दूसरी कंपनी द्वारा बनाए गए माल की बिक्री अधिक करना चाहती हैं। जैसे मान लीजिए अमुक ई-पोर्टल, जिसका नाम 'कखग' है, ने सरसों का तेल बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। जब कोई विजिटर उनके पोर्टल पर सरसों तेल की खोज करता है तो पोर्टल द्वारा अपनी ही कंपनी के सरसों तेल को सर्वोत्तम बता कर सबसे पहले दिखाया जा सकता है। ऐसा करने से ई-पोर्टल दूसरे निर्माताओं को पीछे कर देता है और

उपभोक्ता को घटिया माल परोस देता है। आपको ध्यान होगा ओला या उबर के ड्राइवर बताते हैं कि कंपनी द्वारा अपनी ही गाड़ियों को अधिक काम दिया जाता है। जो गाड़ियां दूसरे से अनुबंध पर ली गई हैं, उन्हें तुलना में काम कम दिया जाता है। इसी प्रकार का कार्य ये ई-पोर्टल छिपे ढंग से करते हैं। इन्होंने 'शेल' कंपनियां बना रखी हैं। आपको लगेगा कि आप किसी स्वतंत्र निर्माता को ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन वह शेल कंपनी वापस उस ऑर्डर को अपनी ही कखग कंपनी को स्थानांतरित कर देगी। जैसे अक्सर व्यापारी अपने भाई भतीजे के नाम से ऑर्डर ले लेते हैं। इस दिशा में यूरोपियन यूनियन ने कानून बनाया है कि ई-पोर्टल को अपने स्वयं के माल एवं दूसरों के माल का बराबर डिस्प्ले करना होगा। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है कि ई-पोर्टल के लिए अपनी स्वयं की कंपनी बनाना ही निषिद्ध होगा। कोई भी ई-पोर्टल अपनी कंपनी बना ही नहीं सकता। हमें भी अमेरिकी प्रस्ताव को अपनाना चाहिए।

इसी से संबंधित मसला है आत्मनिर्भर भारत का। सरकार चाहती है कि देश में बने माल की बिक्री अधिक हो, लेकिन ई-पोर्टल अक्सर विदेशी माल का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि विदेशी माल को डिस्प्ले करते समय पोर्टल को देश में बने माल को भी साथ-साथ डिस्प्ले करना होगा। सरकार का यह कदम सही दिशा में है। ई-पोर्टल द्वारा उपभोक्ता को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे आपने पूर्व में जिस माल को सर्च किया है उसे चिह्नित करके आपको वह माल ई-पोर्टल विशेषकर परोसते हैं, जिससे कि उसे खरीदने में आपकी रुचि बन जाए, चाहे आपको उसकी अभी आवश्यकता न हो। इसे कस्टमाइजेशन कहा जाता है। जैसे आपकी इच्छा है कि नया मोबाइल फोन खरीदें।

आपने सर्च किया, लेकिन आपके पास खरीदने को पैसा नहीं था। ऐसे में ई-पोर्टल आपको बार-बार वही मोबाइल फोन दिखाएगा। एक क्षण के लिए भी आप फिसले तो ऑर्डर डाल देंगे, भले ही आपके पास पेमेंट करने की ताकत नहीं है। आप अनायास ही ई-पोर्टल के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। इसी क्रम में ई-पोर्टल द्वारा माल की एक्सपायरी डेट को बताए बिना भी माल बेच दिया जाता है। इसलिए एक्सपायरी डेट बताना भी अनिवार्य कर देना चाहिए।

सूडोकु नवताल-5265

सरल

2	9		3	1			8	
3	6		2		7		9	
		7			6		2	1
	7		1					
1	3			4			7	2
					5		4	
6	2		4			9		
	5		6		9		1	8
	1			5	3		6	4

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5264 का हल

3	9	7	5	1	4	6	8	2
1	2	8	6	9	3	4	5	7
6	4	5	2	8	7	1	3	9
5	7	3	4	6	9	2	1	8
2	1	9	7	5	8	3	4	6
4	8	6	3	2	1	7	9	5
9	3	2	8	4	6	5	7	1
7	6	1	9	3	5	8	2	4
8	5	4	1	7	2	9	6	3

अपना ब्लॉग

धांधली पर अंकुश लगेगा

मोहन। बड़े ई-पोर्टलों को, असल में सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत ले आना चाहिए। वर्तमान में सूचना का अधिकार मुख्यतरू सरकारी उपक्रमों पर ही लागू होता है। लेकिन जहां पर बुनियादी संरचना आदि में सरकार से अनुबंध करके निजी कंपनियां काम कर रही हैं, उन्हें सूचना के अधिकार में शामिल कर दिया गया है। जैसे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं पर सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि ई-पोर्टल को सूचना के अधिकार के अंतर्गत ले आए। तब जनता उनसे पूछ सकेगी कि यदि उन्होंने अमुक कंपनी का सरसों का तेल 300 रुपये प्रति किलो में बेचने को दिखाया तो दूसरे विक्रेताओं से सरसों के तेल को किस मूल्य पर खरीदा और किस मूल्य पर उसे बेचा जा रहा है, यह सूचना उपलब्ध हो जाने से ई-पोर्टलों की धांधली पर अंकुश लगेगा।